क्रमांक– **28**

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 3, 1945)

लोक ऋण अधिनियम 1944 के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम 2006 के संशोधन के अनुसमर्थन में संकल्प

संकल्प

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र में माननीय श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"यह सदन भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले लोक ऋण अधिनियम (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) के निरसन एवं सरकारी प्रत्याभूति अधिनियम (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) के संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

संकल्प से संबंधित सुसंगत दस्तावेज माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ संलग्न है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा